

उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग-05

संख्या: 771/xx (5)20-02(अर्द्ध०सै०)/2019, देहरादून: दिनांक 26.02.2021,

:-अधिसूचना:-

राज्यपाल भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्याक 30) की धारा 11 की उपधारा (1) तथा 40 की उपधारा 4 के अधीन गृह अनुभाग.5 द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या. 1057/xx (5)20-02(अर्द्ध०सै०)2019, देहरादून: दिनांक 13.01.2020 के क्रम में उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (1) के अधीन यह घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजनार्थ जिला अल्मोडा के ग्राम कटारमल में माउन्टेन ड्राइविंग स्कूल भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना हेतु 0.150 हैक्टेयर निजी भूमि की आवश्यकता है। अतः अल्मोडा के कलेक्टर को निर्देश देते हैं कि उक्त भूमि का अर्जन करने की कार्यवाही करें।

चूंकि राज्यपाल की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन राज्यपाल अग्रेतर यह भी निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 23 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया गया है, तथापि उक्त लोक प्रयोजनार्थ अल्मोडा के कलेक्टर धारा 21 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अवसान पर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा ले सकेगी।

अनुसूची.

जिला	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (है०)
1	2	3	4	5
अल्मोडा	बरामण्डल	कटारमल	8353	0.024
			8359	0.035
			8360	0.026
			8361	0.065
			योग	0.150

किस प्रयोजन के लिए आवश्यक है: ग्राम. कटारमल परगना बरामण्डल में माउन्टेन ड्राइविंग स्कूल भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना के प्रयोजन के लिए।
टिप्पणी. भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलेक्टर अल्मोडा के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

ह०/-

(नितेश कुमार झा)

सचिव ।

कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अल्मोडा।

पत्रांक 490 आठ/अधिसूचना/वि०भू०अ०अ०/2020 दिनांक: 02-06-2021 ।

प्रतिलिपि:

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोडा को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना की विज्ञप्ति सूचना को एन०आई०सी० की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कलेक्टर भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
अल्मोडा।